

पुलिस के व्यवहार को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत

**अधिवक्ता प्रीति जोशी
व दीपिका चावड़ा ने
आयोग के अध्यक्ष से
की मुलाकात**

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

सूरत, गुजरात के वकीलों और आम नागरिकों को पुलिस प्रशासन के कथित अनुचित व्यवहार से हो रही परेशानियों का मुद्दा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष उठाया गया। अधिवक्ता गुजरात बार काउंसिल की सदस्या प्रीति जोशी और दीपिका चावड़ा ने दिल्ली स्थित



राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के के साथ दोनों अधिवक्ता।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन से मुलाकात कर लिखित और मौखिक रूप से अपनी बात रखी।

उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस,

न्यायपालिका और नागरिकों के बीच आपसी सहयोग जरूरी है। कुछ मामलों में पुलिस के अनुचित अथवा कथित गैरकानूनी व्यवहार के कारण आम लोगों और वकीलों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

पुलिस को नागरिकों के साथ मानवीय और विनम्र व्यवहार करने तथा उनके संवैधानिक और मानवाधिकारों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश देने की मांग की गई। यह भी कहा गया कि किसी नागरिक के साथ जबरदस्ती, शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रति पुलिस को विशेष संवेदनशीलता

बरतनी चाहिए। वकीलों से जुड़े मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया गया। अपने मुवक्किल की जमानत अथवा गिरफ्तारी से संबंधित मामलों में पुलिस थाने जाने वाले वकीलों के सम्मान और उनके कानूनी अधिकारों का ध्यान नहीं रखे जाने की शिकायत की गई।

पुलिस और वकीलों के बीच संवाद व्यवहारिक और मर्यादित भाषा में हो तथा कानून का पालन सुनिश्चित करने के साथ वकीलों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ऐसी मांग की गई। जिस पर आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन ने उचित कार्रवाई और आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया।

भू-धंसान व असुरक्षित खनन पर एनएचआरसी से शिकायत

कतरास, प्रतिनिधि। धनबाद में भू-धंसान, भूमिगत आग और असुरक्षित खनन को लेकर अधिवक्ता दीपनारायण ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शिकायत की है। आरोप लगाया गया है कि झरिया, कतरास सहित कई क्षेत्रों में लोग खतरे के साये में जी रहे हैं। 5,940.47 करोड़ रुपये के संशोधित झरिया मास्टर प्लान के बावजूद समय पर पुनर्वास नहीं हो रहा है, जबकि बीसीसीएल और जेआरडीए के बीच खींचतान व बंद खदानों की सही भराई न होने से स्थिति गंभीर है। याचिकाकर्ता ने विशेषज्ञों की समिति से वैज्ञानिक सर्वेक्षण, जीआईएस मैपिंग, 24 घंटे हेल्पलाइन, सुरक्षित शिफ्टिंग

दो को करेंगे सत्याग्रह

झरिया। सामाजिक कार्यकर्ता उमाचरण रजवार ने बयान जारी कर कहा कि नियमित कर भुगतान के बावजूद झरिया की जनता प्रदूषित हवा, दूषित पानी, जर्जर सड़कों, बिजली संकट तथा बदहाल शिक्षा-स्वास्थ्य व्यवस्था से जूझ रही है। इसे लेकर वह दो अक्टूबर को जेपी चौक, कतरास मोड़ पर आठ घंटे का निर्जला सत्याग्रह करेंगे।

और मुआवजे की मांग की है। मामले में बीसीसीएल के सभी 12 जीएम, जिला व पुलिस प्रशासन, सीआईएसएफ, नगर निगम और डीजीएमएस को प्रतिवादी बनाया गया है।

बच्चों को फेल नहीं, सुधार का मौका दें: एनएचआरसी

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-1, भोपाल के कृष्णमूर्ति सभा कक्ष में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ओर से शैक्षणिक संस्थानों में मानवाधिकार, लैंगिक संवेदनशीलता और समावेशी शिक्षा को लेकर विशेष अनुश्रवण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोग के विशेष मानिटर प्रो. कन्हैया त्रिपाठी मुख्य प्रवक्ता के रूप में शामिल हुए। बैठक की शुरुआत भारत की पहली महिला कुलपति और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के निर्माण से जुड़ी समिति की सदस्य हंसा मेहता के योगदान को याद करते हुए हुई। प्रो. त्रिपाठी ने विद्यालय परिसर में हंसा मेहता का चित्र प्रदर्शित करने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थी उनके योगदान से प्रेरणा ले सकें। उन्होंने शिक्षकों से मानवाधिकार और सामाजिक समानता से जुड़े मौलिक आलेख लिखने का आह्वान किया। इन आलेखों को संकलित कर विद्यालय की ओर से पुस्तक प्रकाशित करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों के साथ विनम्र व्यवहार व सरल भाषा के प्रयोग पर जोर दिया।

बच्चों को अनुत्तीर्ण नहीं करने पर जोर : प्रो. त्रिपाठी ने कहा कि किसी भी बच्चे को अनुत्तीर्ण करने के बजाय उपचारात्मक कक्षाओं के माध्यम से उसकी शैक्षणिक कमियों को दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक वर्ष रुकना बच्चे के जीवन पर गहरा

● मानवाधिकार और लैंगिक समानता पर अनुश्रवण बैठक

प्रभाव डाल सकता है। उन्होंने विद्यालय में स्वच्छता, पेयजल और शौचालयों की दैनिक निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्वास्थ्य जांच हर तीन माह में कराने पर भी जोर दिया गया। साथ ही थर्ड जेंडर बच्चों के दाखिले के लिए आउटरीच कार्यक्रम चलाने, विद्यार्थियों को साइबर स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और मोबाइल के अनावश्यक उपयोग को न्यूनतम रखने की बात कही। संबोधन के बाद प्रो. त्रिपाठी ने विद्यालय के पुस्तकालय का निरीक्षण किया। उन्होंने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से संवाद कर उनका हालचाल जाना और उन्हें उपलब्ध कराई जा रही शैक्षणिक सुविधाओं की जानकारी ली। कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ शिक्षिका माधुरी राजगुरु ने आधार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि छात्र सांस्कृतिक समिति द्वारा मानवाधिकार विषय पर तैयार नाटक की रिकॉर्डिंग शीघ्र आयोग को भेजी जाएगी। साथ ही प्रार्थना सभा में मानवाधिकार चर्चा, अनुत्तीर्ण न करने की नीति, उपचारात्मक शिक्षण, साइबर स्वच्छता और दिव्यांग विद्यार्थियों की त्रैमासिक स्वास्थ्य जांच को लागू करने की बात कही गई।

एमजीएम छत हादसा

प्रशासन ने एनएचआरसी को अब तक नहीं भेजी रिपोर्ट

जमशेदपुर. एमजीएम अस्पताल के मेडिकल वार्ड की छत गिरने से हुई चार मरीजों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश के करीब ढाई माह बाद भी जिला प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट आयोग को नहीं भेजी है. जन विकास मंच के अध्यक्ष सौरभ विष्णु ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आरटीआइ के जवाब में आयोग ने रिपोर्ट नहीं मिलने की पुष्टि की है. सोमवार को सौरभ विष्णु ने उपायुक्त कार्यालय में आरटीआइ आवेदन देकर जांच, आयोग को भेजी गयी रिपोर्ट, मुआवजा राशि और चारों मृतकों के परिजनों को भुगतान की स्थिति की जानकारी मांगी. मालूम हो कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में छत गिरने से डेविड जॉनसन, लुकास साइमन तिकी, श्रीचंद तांती व रेणुका देवी की मृत्यु हुई थी.

Source: <https://www.mangalorean.com/sc-takes-suo-motu-cognisance-of-recurring-rape-sexual-assault-cases-in-delhi-ncr/>

SC takes suo motu cognisance of recurring rape, sexual assault cases in Delhi-NCR

By IANS -September 28, 2026

SC takes suo motu cognisance of recurring rape, sexual assault cases in Delhi-NCR

New Delhi: The Supreme Court on Monday took suo motu cognisance of recent cases of rape and sexual assault reported in Delhi-NCR, including the alleged gang rape of a 17-year-old girl at a park near Delhi's Kalkaji Mandir and the alleged sexual assault of a minor inside a moving sleeper bus.

A Bench of Justices J.B. Pardiwala and K. Vinod Chandran expressed concern over the recurring incidents of sexual offences in the National Capital Region and directed the apex court registry to register a suo motu public interest litigation (PIL) on the issue and list it for hearing.

The Justice Pardiwala-led Bench observed that the incidents, considered alongside other recent reports of sexual offences across Delhi-NCR, raised serious concerns regarding the functioning of law-enforcement and public administrative authorities responsible for ensuring public safety.

The Supreme Court stressed that the right to live with dignity and without fear of violence forms an intrinsic part of the fundamental right to life and personal liberty guaranteed under Article 21 of the Constitution.

It further observed that public spaces, including parks, roads, buses, metro stations, subways and footbridges, cannot be allowed to become high-risk zones because of inadequate lighting, surveillance, patrolling or other preventable administrative deficiencies.

The top court called for a measurable response from the authorities and stressed the need to fix accountability on those entrusted with the prevention of crime, maintenance of public order and protection of vulnerable persons.

The Supreme Court's intervention comes amid a series of sexual offences reported in Delhi and the adjoining National Capital Region in recent weeks.

In the latest incident that triggered concern, a 17-year-old girl was allegedly gang-raped by three men posing as policemen at a park near Kalkaji Mandir in Delhi.

According to police, the girl had gone to Kalkaji Mandir with a male friend on September 22 and later entered a nearby park. The three accused allegedly approached them, claimed to be police personnel, threatened them and took their mobile phones. Time& Calendars

The survivor later told police that two of the men took her towards an isolated part of the park, where she was allegedly sexually assaulted. She also alleged that one of the accused, identified as Asif, displayed a firearm while threatening her.

Following a PCR call, police reached the spot. Asif was subsequently apprehended after an encounter and sustained a gunshot injury. Efforts to trace the other two accused were underway.

The Supreme Court's suo moto proceedings also cover the alleged sexual assault of a 16-year-old girl inside a moving sleeper bus in the Greater Noida-Delhi region.

The incident, reported in August, involved a girl from Uttar Pradesh's Mainpuri who had travelled towards Noida and later boarded a sleeper bus after missing her stop.

The driver and conductor of the bus allegedly sexually assaulted her and later abandoned her near Kashmere Gate in Delhi.

The National Human Rights Commission (NHRC) had earlier taken suo motu cognisance of the incident and issued notices to the Police Commissioners of Delhi and Gautam Buddha Nagar and the Superintendent of Police, Mainpuri, seeking reports on the investigation and compensation, if any, provided to the survivor.

Police arrested the driver and conductor and seized the sleeper bus for forensic examination. Investigators also collected CCTV footage along the route to establish the movement of the vehicle and the sequence of events.

Source: <https://www.thestatesman.com/india/supreme-court-takes-note-of-recent-delhi-ncr-rape-cases-calls-it-systematic-failure-1503644005.html/amp>

Supreme Court takes note of recent Delhi-NCR rape cases, calls it 'systematic failure'
Statesman News Service September 28, 2026 12:30 pm

The Supreme Court on Monday took note of recent cases of sexual assault in Delhi and the National Capital Region (NCR), including the alleged gang rape of a minor in a park and the sexual assault of a girl on a moving bus. According to the IANS report, the court termed the incidents a "systematic failure on the part of the law enforcement" and directed its registry to register a suo motu public interest litigation (PIL) on the issue.

SC Raises Concern Over Safety In Public Spaces

A Bench of Justices J.B. Pardiwala and K. Vinod Chandran expressed concern over repeated reports of sexual offences across Delhi-NCR. The Bench said the incidents raised serious questions about the functioning of law-enforcement agencies and public authorities responsible for maintaining safety, according to the IANS report.

The court said the right to live with dignity and without fear of violence is part of the fundamental right to life and personal liberty guaranteed under Article 21 of the Constitution.

It also said public spaces such as parks, roads, buses, Metro stations, subways and footbridges cannot become high-risk areas because of poor lighting, inadequate surveillance, lack of patrolling or other preventable administrative lapses.

Court Seeks Accountability From Authorities

The Supreme Court stressed that authorities must provide a measurable response to such incidents and fix accountability on officials responsible for preventing crime, maintaining public order and protecting vulnerable people.

The court's intervention comes amid several recent cases of sexual offences reported in Delhi and nearby areas. The Bench also referred to the 2012 Nirbhaya case while expressing concern over the recurrence of sexual violence in public spaces.

Recent Sexual Assault Cases In Delhi-NCR

On August 4, a 16-year-old girl was allegedly gang-raped by the driver and conductor of a bus she boarded in Greater Noida. The accused allegedly threatened her and later left her at the Kashmere Gate bus terminal in Delhi. The National Human Rights Commission (NHRC) later took suo motu cognisance of the case and sought reports from the police authorities in Delhi, Gautam Buddh Nagar and Mainpuri.

On September 21, a minor girl was allegedly gang-raped by three men in Astha Kunj Park in Southeast Delhi. According to police, the accused allegedly posed as policemen before taking the girl and her male friend to a

secluded area. The accused were arrested following the incident, with one of them being apprehended after an encounter with police.

The Supreme Court also recalled the December 16, 2012 gang rape of a 23-year-old physiotherapy student in a moving bus in South Delhi. The incident, widely known as the Nirbhaya case, led to widespread protests across the country. The woman died in a Singapore hospital on December 29, 2012.

Six people were arrested in the case. Four, Mukesh Singh, Pawan Gupta, Vinay Sharma and Akshay Kumar Singh, were executed at Tihar Jail in March 2020. Ram Singh, the bus driver and one of the accused, was found dead in Tihar Jail in March 2013. Authorities said he died by suicide, a claim disputed by his family. One accused, who was a juvenile at the time of the crime, was released after serving his sentence.

Source: <https://timesofindia.indiatimes.com/city/gurgaon/gurgaons-159-waterlogging-hotspots-why-the-city-needs-more-than-bigger-drains/articleshow/134547209.cms>

Gurgaon's 159 waterlogging hotspots: Why the city needs more than bigger drains

Bagish Jha TNN | Sep 28, 2026, 10.06 PM IST

GURGAON: With 159 waterlogging-prone locations identified across Gurgaon, the state government has called for a coordinated plan that goes beyond clearing drains during the monsoon and addresses drainage, groundwater recharge, rainwater harvesting and the city's natural water systems together.

Revenue and disaster management minister Vipul Goyal, speaking at a national seminar on climate-resilient rainwater management in Gurgaon on Monday, said the city's water-related problems could not be tackled by any single agency or through isolated infrastructure projects.

He stressed the need for better coordination among government departments, engineers, experts, industry and local communities to find a permanent solution to waterlogging and improve groundwater recharge.

The seminar, organised jointly by the Haryana Institute of Public Administration (HIPA) and Sankala Foundation, comes against the backdrop of repeated episodes of severe waterlogging in Gurgaon during heavy monsoon spells.

The discussions focused on moving from a drainage-centric response to a broader urban water-security strategy. Goyal said the city needed an integrated plan taking into account urban development, climate change, drainage infrastructure and natural water systems.

The identification of 159 vulnerable locations, he said, underlined the scale of the challenge and the need for agencies to work together rather than address individual trouble spots in isolation.

Denmark's ambassador to India, Rasmus Abildgaard Kristensen, said cities should not look at excess rainwater simply as something to be drained away.

Instead, the focus should be on slowing down the flow, storing water, recharging groundwater and reusing it.

He cited Copenhagen's experience after the 2011 cloudburst, when the city adopted blue-green infrastructure and redesigned urban spaces to cope with extreme rainfall.

Gurgaon, he said, could similarly combine conventional infrastructure with nature-based solutions.

Former National Human Rights Commission secretary general and former CEO and founding mission director of Jal Jeevan Mission, Bharat Lal, stressed that water-management solutions had to be designed around local geography and conditions rather than replicated wholesale from elsewhere.

He also underlined the need to link water management with sanitation, hygiene and public health, saying durable change depended on communities participating in solving local problems.

Manoj Yadav said the issue was particularly important for Gurgaon given its position as a major centre for IT, software, logistics and automobile industries.

Large volumes of rainwater that are not captured or conserved eventually flow away, while the city continues to face water-management challenges, he said.

The study and discussions are being supported by the Embassy of Denmark in India under the India-Denmark Green Strategic Partnership. The initiative seeks to develop practical approaches to Gurgaon's water-security challenges.

Experts and officials from the Municipal Corporation of Gurgaon, public health engineering department, IIT Delhi, UNOPS, National Institute of Urban Affairs and other organisations participated in the seminar.

Source: <https://ptbnews.in/innocent-hearts-group-organises-begumpura-dialogues-national-seminar-to-commemorate-650th-birth-anniversary-of-shri-guru-ravidas-ji/>

इनोसेंट हार्ट्स ग्रुप द्वारा श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में 'बेगमपुरा डायलॉग्स- राष्ट्रीय संगोष्ठी' आयोजित
28 September 2026

PTB News "शिक्षा" : इनोसेंट हार्ट्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में 'बेगमपुरा डायलॉग्स - राष्ट्रीय संगोष्ठी 2026' का आयोजन किया गया। यह संगोष्ठी समानता, मानवीय गरिमा, सामाजिक न्याय, समावेशिता, धार्मिक सद्भाव तथा सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बौद्धिक चिंतन और सार्थक संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच बनी।

संगोष्ठी का केंद्रीय विषय श्री गुरु रविदास जी की 'बेगमपुरा' की परिकल्पना से प्रेरित था, जो भेदभाव, असमानता, उत्पीड़न और अन्याय से मुक्त आदर्श समाज की कल्पना प्रस्तुत करती है। विचार-विमर्श में ऐसे समाज के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया गया, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, धार्मिक अथवा आर्थिक भिन्नताओं से परे समान अधिकार, गरिमा, स्वतंत्रता, सुरक्षा और परस्पर सम्मान प्राप्त हो।

संगोष्ठी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के माननीय सदस्य श्री प्रियंक कानूनगो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ. पार्था बिस्वास मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशेष अतिथियों के रूप में श्री प्रदीप जोशी, श्री राजेश बाघा, श्री विनय जोशी तथा श्री सतपाल ने सहभागिता की। श्री सतपाल ने यूनाइटेड किंगडम से ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया। सभी विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति और विचारों ने सामाजिक न्याय, समानता, मानव गरिमा तथा समावेशी समाज के निर्माण से संबंधित विमर्श को समृद्ध किया। इस अवसर पर इनोसेंट हार्ट्स के अध्यक्ष डॉ. अनूप बौरी एवं मैनेजमेंट के अन्य वरिष्ठ सदस्य भी उपस्थित थे।

कार्यक्रम का शुभारंभ इनोसेंट हार्ट्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की अकादमिक डायरेक्टर डॉ. गगनदीप कौर धंजू के स्वागत भाषण द्वारा अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ। इसके पश्चात वंदे मातरम् तथा विधिवत दीप प्रज्वलन किया गया। कार्यक्रम में क्रमशः विशेष एवं विशेषज्ञ संबोधन, मुख्य अतिथि का उद्बोधन, सम्मान समारोह तथा औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन आयोजित किए गए। विचार-विमर्श के दौरान सामाजिक असमानता, भेदभाव और वंचना जैसी समकालीन चुनौतियों के समाधान तथा मानवीय गरिमा को सर्वोच्च स्थान देने में श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं की प्रासंगिकता को रेखांकित किया गया।

'बेगमपुरा' की अवधारणा को समान अवसर, परस्पर सम्मान, सामाजिक समरसता, न्याय और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने वाली एक प्रगतिशील सामाजिक दृष्टि के रूप में प्रस्तुत किया गया। समग्र रूप से, 'बेगमपुरा संवाद - राष्ट्रीय संगोष्ठी 2026' एक ज्ञानवर्धक एवं सार्थक शैक्षणिक-सामाजिक पहल रही, जिसने श्री गुरु रविदास जी के दर्शन की शाश्वत प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए एक न्यायपूर्ण, समावेशी, सौहार्दपूर्ण और समतामूलक समाज के निर्माण के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को सुदृढ़ किया।

Source: <https://www.livehindustan.com/national/story-jharkhand-rights-commission-reviews-mining-impact-on-villagers-201790601597423.html>

खनन प्रभावित ग्रामीणों का दर्द जानने पहुंची विशेष प्रतिवेदक

Sep 28, 2026 06:50 pm IST

ByHindustan | Bureau

हिन्दुस्तान, रांची

ओरमांडी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की विशेष प्रतिवेदक सुचित्रा सिन्हा ने ग्रामीण महिलाओं और मजदूरों से पत्थर खनन के दुष्प्रभावों पर जानकारी ली। मजदूरों ने बताया कि उन्हें प्रति दिन 300 रुपये मिलते हैं, लेकिन सुरक्षा और स्वास्थ्य

ओरमांडी, प्रतिनिधि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की झारखंड की विशेष प्रतिवेदक और झारखंड कैडर की सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुचित्रा सिन्हा सोमवार को ओरमांडी पहुंचीं। उनके साथ जिला खनन पदाधिकारी और ओरमांडी अंचल अधिकारी उज्जवल सोरेन भी थे।

ग्रामीण महिलाओं और मजदूरों से जानकारी

टीम ने पहले कुटे और चुटूपालू घाटी स्थित खिराबेरा पहुंचकर स्टोन क्रशर और पत्थर खनन से होने वाले दुष्प्रभावों की ग्रामीण महिलाओं और मजदूरों से जानकारी ली। ग्रामीणों से क्रशर से होने वाले प्रदूषण, जीवनशैली, रहन-सहन और खनन से होने वाले लाभ-हानि के बारे में भी जानकारी ली गई। पंचायती के मुखिया वीरेंद्र मुंडा से भी कई बिंदुओं पर जानकारी ली गई।

मजदूरी और समस्याएँ

मजदूरों और ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें 300 रुपये मजदूरी मिलती है और सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम लिया जाता है। स्वास्थ्य जांच, सुरक्षा और दुर्घटना की स्थिति में बीमा की कोई सुविधा नहीं है। किसी खनन स्थल या क्रशर पर फर्स्ट एड बॉक्स तक नहीं रखा गया है। मजदूरों के लिए पीने के पानी और महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि क्रशर से निकलने वाली धूल के कारण खेत भी बर्बाद हो रहे हैं।

आयोग का निर्देश

समस्याएं सुनने के बाद आयोग की टीम ने अंचल अधिकारी उज्जवल सोरेन को जिला खनन विभाग के सहयोग से विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर यथाशीघ्र भेजने का निर्देश दिया। ग्रामीणों की ओर से बताई गई समस्याओं पर विशेष नजर रखने को कहा गया। चुटूपालू घाटी में रांची-रामगढ़ क्षेत्र के बीच संचालित एक क्रशर के संचालक को सभी कागजात के साथ अंचल कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश भी दिया गया।

Source: <https://www.livehindustan.com/national/story-complaints-filed-over-land-subsidence-and-unsafe-mining-in-dhanbad-highlights-human-rights-concerns-201790624721908.html>

भू-धंसान व असुरक्षित खनन को ले एनएचआरसी से शिकायत

Sep 29, 2026 01:15 am IST

ByHindustan | Bureau

हिन्दुस्तान , धनबाद

धनबाद में अधिवक्ता दीपनारायण ने भू-धंसान, भूमिगत आग और असुरक्षित खनन को लेकर एनएचआरसी में शिकायत की है। याचिका में आरोप है कि लोग खतरे में हैं। समय पर पुनर्वास नहीं हो रहा है और स्थिति गंभीर है, जिसमें बीसीसीएल और जेआरडीए के बीच खींचतान का आरोप है।

धनबाद में भू-धंसान, भूमिगत आग और असुरक्षित खनन को लेकर अधिवक्ता दीपनारायण ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) में शिकायत की है। इसे आयोग ने स्वीकार कर लिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि झरिया, कतरास सहित कई क्षेत्रों में लोग खतरे के साये में जी रहे हैं। 5,940.47 करोड़ रुपये के संशोधित झरिया मास्टर प्लान के बावजूद समय पर पुनर्वास नहीं हो रहा है, जबकि बीसीसीएल और जेआरडीए के बीच खींचतान व बंद खदानों की सही भराई न होने से स्थिति गंभीर है। याचिकाकर्ता ने विशेषज्ञों की समिति से वैज्ञानिक सर्वेक्षण, जीआईएस मैपिंग, 24 घंटे हेल्पलाइन, सुरक्षित शिफ्टिंग और मुआवजे की मांग की है।

मामले में बीसीसीएल के सभी 12 जीएम, जिला व पुलिस प्रशासन, सीआईएसएफ, नगर निगम और डीजीएमएस को प्रतिवादी बनाया गया है।

Source: <https://uditvani.in/gadhwa/jharkhand-witchcraft-attack-nhrc-report/>

झारखंड के गढ़वा में महिला पर डायन बताकर हमला, एनएचआरसी ने मांगी रिपोर्ट
By Udit Vani September 28, 2026

उदित वाणी, गढ़वा :

झारखंड के गढ़वा जिले के भोजपुर गांव में एक महिला पर डायन बताकर उबलता पानी फेंककर गंभीर रूप से झुलसाने की घटना सामने आई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने इस मामले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रशासन से दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने इसे मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मामला बताया है।

आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान, प्रशासन को नोटिस जारी
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मीडिया खबरों के आधार पर गढ़वा के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि दो सप्ताह के भीतर घटना की विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। रिपोर्ट में पीड़िता के स्वास्थ्य की स्थिति और यदि कोई मुआवजा दिया गया है तो उसका विवरण भी शामिल किया जाए।

पीड़िता की स्थिति गंभीर, अस्पताल में उपचार जारी

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हमले के बाद पीड़िता को गम्भीर झुलसाने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक महिला करीब 40 प्रतिशत तक झुलस गई है और उसका इलाज जारी है। जांच एजेंसियां मामले की छानबीन कर रही हैं।

डायन कहकर हिंसा के मामलों पर चिंता

झारखंड सहित पूर्वी भारत के कई हिस्सों में महिला अधिकार कार्यकर्ता लंबे समय से डायन कहकर हिंसा के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जता चुके हैं। गढ़वा की यह घटना एक बार फिर ऐसे मामलों की गंभीरता और इनके प्रति सरकारी कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

Source: <https://www.haribhoomi.com/state-local/madhya-pradesh/news/bhopal-nhrc-human-rights-gender-equality-inclusive-education-meeting-115111>

दिव्यांग बच्चों की हर तीन महीने में होगी स्वास्थ्य जांच: मानवाधिकार और लैंगिक समानता पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का निर्णय

भोपाल के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-1 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बैठक हुई। मानवाधिकार, लैंगिक समानता और समावेशी शिक्षा पर चर्चा हुई। दिव्यांग विद्यार्थियों की हर तीन माह स्वास्थ्य जांच, साइबर स्वच्छता, स्वच्छता निगरानी और बच्चों के प्रति संवेदनशील व्यवहार पर जोर दिया गया।

By: Anoorag Sharma Published: 28 Sep 2026, 02:27 PM IST

Last Updated: 28 Sep 2026, 02:27 PM IST

भोपाल। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-1, भोपाल के कृष्णमूर्ति सभा कक्ष में 28 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ओर से शैक्षणिक संस्थानों में मानवाधिकार, लैंगिक समानता और समावेशी शिक्षा को लेकर विशेष अनुश्रवण बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर और मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

हंसा मेहता के योगदान को किया याद

कार्यक्रम की शुरुआत में विद्यालय की प्रभारी प्राचार्या एवं वरिष्ठ शिक्षिका भावना जायसवाल ने प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी का पौधा भेंट कर स्वागत किया। बैठक में भारत की पहली महिला कुलपति और संयुक्त राष्ट्र के सार्वभौम मानवाधिकार घोषणा पत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हंसा मेहता के योगदान को याद किया गया। प्रोफेसर त्रिपाठी ने विद्यालय परिसर में हंसा मेहता का चित्र प्रदर्शित करने के निर्देश दिए, ताकि छात्र-छात्राओं को उनके योगदान से प्रेरणा मिल सके। भौगोलिक संदर्भ

बच्चों को अनुत्तीर्ण करने के बजाय उपचारात्मक कक्षाएं चलाने पर जोर

प्रोफेसर त्रिपाठी ने शिक्षकों से मानवाधिकार और सामाजिक समानता पर मौलिक आलेख लिखने का आह्वान किया। इन आलेखों को संकलित कर विद्यालय की ओर से पुस्तक प्रकाशित करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने शिक्षकों से बच्चों के साथ मधुर भाषा और विनम्र व्यवहार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी बच्चे को अनुत्तीर्ण करने के बजाय उपचारात्मक कक्षाओं के माध्यम से उसकी पढ़ाई में मदद की जानी चाहिए। एक वर्ष रुकने का बच्चे के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।

स्वच्छता और पेयजल व्यवस्था की नियमित निगरानी

बैठक में विद्यालय में स्वच्छता, पेयजल और शौचालयों की रोजाना निगरानी पर विशेष जोर दिया गया। प्रोफेसर त्रिपाठी ने कहा कि विद्यार्थियों को स्वच्छ और संक्रमण से सुरक्षित वातावरण मिलना जरूरी है। विशेष आवश्यकता वाले यानी दिव्यांग विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच वर्ष में दो बार के बजाय हर तीन माह में कराने के निर्देश दिए गए। इस तरह वर्ष में चार बार स्वास्थ्य जांच कराने पर जोर दिया गया।

तीसरे लिंग के बच्चों के दाखिले के लिए अभियान

बैठक में तीसरे लिंग के बच्चों के दाखिले के लिए संपर्क अभियान चलाने की बात कही गई। इसके अलावा विद्यार्थियों को साइबर स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और मोबाइल फोन के उपयोग को न्यूनतम रखने पर भी जोर दिया गया। बैठक का आयोजन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी. रामसुब्रमण्यम की प्राथमिकताओं और दिशा-निर्देशों के तहत किया गया।

पुस्तकालय का निरीक्षण कर दिव्यांग बच्चों से की बातचीत

संबोधन के बाद प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी ने विद्यालय के पुस्तकालय का निरीक्षण किया। उन्होंने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और विद्यालय की ओर से उन्हें दी जा रही शैक्षणिक एवं अन्य सुविधाओं की जानकारी ली।

मानवाधिकार संबंधी गतिविधियां नियमित करने का आश्वासन

कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ शिक्षिका माधुरी राजगुरु ने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आयोग के सुझावों के अनुसार छात्र सांस्कृतिक समिति की ओर से मानवाधिकार पर तैयार नाटक की रिकॉर्डिंग जल्द आयोग को भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि विद्यालय की दैनिक प्रार्थना सभा में मानवाधिकार चर्चा, बच्चों को अनुत्तीर्ण न करने की नीति, उपचारात्मक शिक्षण, साइबर स्वच्छता और दिव्यांग विद्यार्थियों की त्रैमासिक स्वास्थ्य जांच जैसी गतिविधियों को लागू किया जाएगा। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन और सभी शिक्षक मौजूद रहे।

Source: <https://www.loktej.com/article/152354/meeting-with-nhrc-chairman-regarding-relations-between-surat-police-public-and>

सूरत : पुलिस-जनता और वकीलों के संबंधों को लेकर NHRC अध्यक्ष से मुलाकात

एडवोकेट प्रीति जोशी और दीपिका चावड़ा ने NHRC चेयरपर्सन जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम को सौंपा ज्ञापन

By Bhatu Patil On 28 Sep 2026 20:03:47

सूरत, 28 सितंबर। पुलिस व्यवस्था, वकीलों और आम नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय तथा नागरिकों के संवैधानिक एवं मानवाधिकारों के संरक्षण से जुड़े मुद्दों को लेकर सूरत की एडवोकेट एवं बार काउन्सिल ऑफ गुजरात (बीसीजी) सदस्य प्रीति जोशी और एडवोकेट दीपिकाबेन चावड़ा ने 25 सितंबर को नई दिल्ली स्थित नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) में चेयरपर्सन जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर चेयरपर्सन को लिखित एवं मौखिक ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल ने अपने रिप्रेजेंटेशन में कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस, न्यायपालिका, वकीलों और नागरिकों के बीच आपसी सहयोग तथा विश्वास जरूरी है। उनका कहना था कि कुछ मामलों में पुलिस की कार्यप्रणाली अथवा कथित अनुचित व्यवहार को लेकर आम नागरिकों और वकीलों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे न्याय प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है।

रिप्रेजेंटेशन में मांग की गई कि आम नागरिकों के साथ पुलिस का व्यवहार विनम्र, मानवीय और कानून के अनुरूप होना चाहिए। नागरिकों के संवैधानिक और मानवाधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने के साथ किसी भी प्रकार की गैरकानूनी जबरदस्ती, शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

प्रतिनिधिमंडल ने महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के साथ पुलिस कार्रवाई के दौरान विशेष संवेदनशीलता बरतने की बात कही। उनका कहना था कि कानून लागू करते समय मानवीय दृष्टिकोण और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

वकीलों से जुड़े मुद्दों का उल्लेख करते हुए प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कई बार अपने क्लाइंट की जमानत, गिरफ्तारी या अन्य कानूनी प्रक्रिया के संबंध में पुलिस स्टेशन जाने वाले अधिवक्ताओं को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रतिनिधिमंडल ने वकीलों के साथ सम्मानजनक और व्यावहारिक संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि पुलिस और वकीलों के बीच संवाद स्पष्ट, मर्यादित और कानून के दायरे में होना चाहिए, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति को बातचीत और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाया जा सके।

रिप्रेजेंटेशन में पुलिस कार्रवाई के दौरान संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने तथा इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश और व्यावहारिक व्यवस्था विकसित करने की मांग की गई।

प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, NHRC चेयरपर्सन जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम ने प्रस्तुत मुद्दों को सुना और आवश्यक कार्रवाई एवं उचित विचार का भरोसा दिलाया।

Source: <https://panchjanya.com/2026/09/28/493172/bharat/bhim-human-rights-training-program-new-delhi-nhrc-experts/>

नई दिल्ली में BHIM का बड़ा आयोजन: अधिवक्ताओं और शिक्षकों को मिला मानवाधिकार प्रशिक्षण, विशेषज्ञों ने दिए मंत्र !

BHIM Human Rights Program: नई दिल्ली में BHIM द्वारा आयोजित मानवाधिकार प्रशिक्षण में NHRC विशेषज्ञों ने अधिवक्ताओं और शिक्षकों को दी व्यावहारिक जानकारी।

Written by Shivam Dixit Sep 28, 2026, 01:41 pm IST in भारत

नई दिल्ली : भारतीय मानवाधिकार पहल फॉर द मार्जिनलाइज्ड (BHIM) द्वारा 93, साउथ एवेन्यू, प्रेसिडेंट्स एस्टेट, नई दिल्ली में एक विशेष मानवाधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिक्षाविदों, प्रोफेसरों, शिक्षकों एवं प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं ने भाग लिया। "न्याय के लिए, समानता के लिए, बेहतर कल के लिए" विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को मानवाधिकारों की समझ के साथ-साथ मानवाधिकार शिकायतों एवं याचिकाओं को संबंधित संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत करने की व्यावहारिक प्रक्रिया से परिचित कराना था।

दीप प्रज्वलन के बाद आयोजित हुए तीन प्रशिक्षण सत्र

कार्यक्रम का शुभारंभ हाई टी स्वागत समारोह के साथ हुआ। दीप प्रज्वलन के पश्चात मानवाधिकारों से संबंधित विभिन्न विषयों पर तीन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

NHRC के पूर्व सहायक रजिस्ट्रार ने दी शिकायत और याचिका प्रक्रिया की जानकारी

प्रथम सत्र में श्री देबिन्द्र कुंद्रा, पूर्व सहायक रजिस्ट्रार (विधि), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मानवाधिकार उल्लंघनों के विभिन्न वर्गीकरण तथा मानवाधिकार संबंधी याचिकाएं एवं शिकायतें दाखिल करने की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी। सत्र में मानवाधिकार कानून के शैक्षणिक एवं व्यावहारिक पहलुओं पर भी चर्चा की गई।

ऑनलाइन शिकायत फाइलिंग की प्रक्रिया पर दिया गया प्रशिक्षण

द्वितीय सत्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सिस्टम एनालिस्ट श्री अमित कुमार शर्मा ने मानवाधिकार शिकायतों की ऑनलाइन फाइलिंग एवं उनके प्रसंस्करण की प्रक्रिया पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। प्रतिभागियों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करने, शिकायत के विभिन्न चरणों तथा संबंधित प्रक्रियात्मक पहलुओं की जानकारी प्रदान की गई।

डॉ. ओम प्रकाश व्यास ने किया इंटरैक्टिव प्रश्नोत्तर सत्र

कार्यक्रम के अंतिम सत्र में डॉ. ओम प्रकाश व्यास, अध्यक्ष, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व संयुक्त रजिस्ट्रार (विधि)-प्रभारी, ने प्रतिभागियों के साथ एक इंटरैक्टिव प्रश्नोत्तर सत्र किया। इस दौरान मानवाधिकार संरक्षण, शिकायत निवारण की संस्थागत व्यवस्था तथा मानवाधिकारों के प्रभावी संरक्षण में अधिवक्ताओं एवं शिक्षाविदों की भूमिका से संबंधित विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा की गई।

अकादमिक और विधिक क्षेत्र के पेशेवरों को मिला साझा मंच

कार्यक्रम ने अकादमिक जगत और विधिक क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को एक साझा मंच प्रदान किया, जहां प्रतिभागियों ने मानवाधिकार संरक्षण से जुड़े व्यावहारिक एवं प्रक्रियात्मक विषयों पर अपने विचार साझा किए और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त किया।

मानवाधिकार जागरूकता और न्याय तक पहुंच मजबूत करने पर जोर

BHIM ने इस अवसर पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, न्याय तक पहुंच को मजबूत करने तथा समाज के वंचित एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। BHIM द्वारा भविष्य में भी विभिन्न वर्गों के पेशेवरों एवं हितधारकों के लिए ऐसे क्षमता-विकास एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

भोजन के साथ हुआ कार्यक्रम का समापन
कार्यक्रम का समापन प्रतिभागियों के लिए दोपहर के भोजन के साथ हुआ।